HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9830/2026
CNR: RJHC020584222026 | URN: CRLMB / 18182U / 2026

Mustkim S/o Shamsher, Aged About 33 Years, R/o Village Kanhaur, Police Station Pahari, District Deeg (Rajasthan) (At Present Accused Petitioner Confined In Sub Jail Deeg).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rohit Khandelwal, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

06/08/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत पुलिस थाना–**कांमा, भरतपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**174/2022** अपराध अन्तर्गत धारा 382 भा.दं.सं. में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है, वह दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है, इसलिए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह जमानत आवेदन खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों की बहस के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के ट्रेक्टर को रुकवा लिया और

परिवादी की कनपटी पर कट्टा लगाकर दस हजार रूपये नकद तथा मोबाईल छीन लिया तथा फिरौती की मांग की।

अभियुक्त दिनांक 03.06.2026 से अभिरक्षा में है, महत्वपूर्ण अभिरक्षात्मक अनुसंधान हो चुका है, सह–अभियुक्त पूर्व से जमानत पर आजाद हो चुके हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी–अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र शमशेर** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

(UMA SHANKER VYAS),J

14/Mittal